

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा :

54- लोहाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूँ कि —

श्री खुशाल सिंह अधिकारी ग्राम- सिमलखेत, तहसील-पाटी, जिला-चम्पावत जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान : चम्पावत

तारीख : 10 मार्च, 2022

07
रिटनिंग आफिसर
हस्ताक्षर—
54-लोहाघाट विधान सभा
रिटनिंग आफिसर

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules And Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **54-Lohaghat** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

KHUSHAL SINGH ADHIKARI

village and post simalkhet tehsil pati district champawat [sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 10-03-2022

47
(Smt Rinku Bisht)
Returning Officer
054-Lohaghat
Legislative Assembly Constituency
रिटर्निंग ऑफिसर
54-लोहाघाट विधान सभा